समक्ष. राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

- - - - - - - - - - - - - - - - -

शारदा प्रसाद तनय काशीराम कुरमी निवासी ग्राम तेवास

तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर,

....पुनरीक्षणकर्त्ता

"विरुद्ध"

कीरनसींग तनय नन्हेभाई बैरल, निवासी महंदपुर,

तहसील पथरियां, जिला दमोह म0प्र0

....प्रत्यर्थी

"पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू.रा. संहिता"

- -

पुनरीक्षणकर्त्ता, श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 832बी/121. 2002. 2003 में पारित आदेश दिनांक 9. 11. 2004 से पीड़ित होकर निम्न पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता हैं ।

.....प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य ....

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्त्ता/आवेदक ने, विचारण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार गढ़ाकोटा, जिला सागर के न्यायालय में धारा 115/116 म0प्र0भू.रा. संहिता के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था, कि ग्राम कुंवरपुर पटवारी हलका नंबर. 52 तहसील गढ़ाकोटा जिला सागर स्थित विवादित भूमियाँ खसरा नंबर 255 रकबा 1.59 हेक्टेयर, खसरा नंबर 270 रकबा 0.55 हे. ख.नं. 278 रकबा 1.44

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निग. 77–दो/2005 जिला–सागर

शारदा प्रसाद विरूद्ध करन सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –10–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 18–10–2018 को आवेदक शारदा प्रसाद के अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी एवं अनावेदक के अधिवक्ता अंकित सक्सैना उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र0क्र0 832/बी–121/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 09–11–2004 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुवंरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 255 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 270 रकबा 0.55 हैक्टेयर , खसरा नंबर 278 रकबा 1.44 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 281 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि खातेदार करनसिंह वल्द नन्हेभाई कुर्मी के नाम दर्ज है । उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक बतौर काबिजदार दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार गढ़ाकोटा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया, जिसमें तहसीलदार ने संहिता की धारा 115–116 के तहत कार्यवाही करते हुये दिनांक 07–04–2003 द्वारा खसरा पंचसाला में आवेदक का कब्जा दर्ज किये जाने आदेश पारित किया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक करनसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रहली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 15/बी–121/2002–03 में पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 11–06–2003 से अपील खारिज कर दी गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11–06–2003 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त ने	

23.10.18

प्रकरण क्रमांक 832/बी–121/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 09–11–2004 से अपील स्वीकार की तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को विधि के विरूद्ध मानकर निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये है जो निगरानी मेमों में प्रस्तुत किये है, इसलिये उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

5/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसका परिशीलन किया है।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि खसरा नंबर 255 रकबा 1.59 हैक्टेयर, खसरा नंबर 270 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नंबर 278 रकबा 1.44 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 281 रकबा 0.63 हैक्टेयर पर अनावेदक करन सिंह का नाम दर्ज है, जिसे अनावेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा दिनांक 29–07–1979 को आवेदक से क्रय किया था और तब से उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज चला आ रहा है। आवेदक ने उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर बतौर काबिजदार नाम दर्ज किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया था, जबकि प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त भूमि अनावेदक को सौंप दी गई है एवं अब उसका उक्त प्रश्नाधीन भूमि में कोई हिस्सा व हक नहीं रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार गढ़ाकोटा ने भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 के तहत कार्यवाही करते हुये कब्जा दर्ज किये जाने की अनुमति दी, जबकि संहिता की धारा 115–116 के अंतर्गत अशुद्ध प्रविष्टि की शुद्धि का प्रावधान है न की नवीन प्रविष्टि उक्त धारा के अंतर्गत की जा सकती है। वैसे भी संहिता की धारा 115–116 में कब्जे की प्रविष्टि किये जाने का कोई उपबंध नहीं है। अतः तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण है और अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का गंभीरता

23.X.18

से परिशीलन किये बिना ही तहसील न्यायालय के आदेश को विधिसंगत मानने में त्रुटि की है और इसी कारण अपर आयुक्त सागर ने प्रकरण की पूर्ण विवेचना कर विस्तृत आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त किया है। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट न होने से उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 09–11–2004 यथावत रखा जाता है ।

8/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

23 x 18

(आर.के. जैन)
सदस्य